



2026:AHC:171304

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26628 वर्ष 2026

धीरू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : आफताब आलम
विपक्ष पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आफताब आलम तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राधे श्याम को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 121 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64(1), 333, 352, 351(3) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत, थाना नरैनी, जनपद बांदा में पंजीकृत मामले में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के प्रथम कथन में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, तथापि बाद में पीड़िता ने एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कहा कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया तथा घटना का वीडियो भी बनाया और उसे प्रसारित कर दिया। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता बालिग विवाहित महिला है तथा कथित रूप से ऐसा कोई वीडियो अथवा फोटो आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है और आवेदक के पति द्वारा विवेचक को एक फोटो उपलब्ध कराया जाना बताया गया है, जिसमें पीड़िता की पहचान अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



नहीं हो रही है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 15.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया तथा यह भी कहा जाता है कि उसने घटना का वीडियो बनाया और उसे प्रसारित कर दिया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के प्रथम कथन में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, तथापि बाद में पीड़िता ने एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कहा कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया तथा घटना का वीडियो भी बनाया और उसे प्रसारित कर दिया। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता बालिग विवाहित महिला है तथा कथित रूप से ऐसा कोई वीडियो अथवा फोटो आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है और आवेदक के पति द्वारा विवेचक को एक फोटो उपलब्ध कराया जाना बताया गया है, जिसमें पीड़िता की पहचान नहीं हो रही है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 15.06.2026 से जेल में निरुद्ध है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- धीरू, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति कारागार अधीक्षक, बाँदा के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

14 अगस्त, 2026

आर.के.एम.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।